न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 150/2017

बउनवान

रामप्रताप आयु 55 वर्ष पुत्र श्री माधोलाल जाति–मीणा निवासी–सीमल्या तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 22.10.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 02.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रामपुरा भगतान, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 768/–रूपये अर्थदण्ड एंव 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के [illegible] काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] दिनांक 2 को काटकर बनाया गया है जबकि 08.02.201[illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का [illegible] तहकीकात किये तथा उसके खातेदारी की आराजी ख0नं0 610 [illegible] 611 रकबा 5.04 है0 इसके लगवां की विवादित आराजी अवस्थित है। [illegible] ने उसके खातेदारी आराजी की पैमाइश नहीं की है, ना हीं कोई साक्ष्य ली है। उक्त निर्णय उसकी अनुपस्थिति में हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर पारित किया गया है, जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये [illegible] अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] फरमाया जावे।

इस [illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजी के लगवां भूमि है। अपीलांट ने अप[illegible] खातेदारी की भूमि की पेमाइश हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कई बार प्रा0पत्र पेश कि[illegible] है किन्तु उसकी आराजी की पैमाईश आज तक नहीं की गयी है। जिस आराजी प[illegible] हल्का पटवारी उसका अतिक्रमण बताते है, वह आराजी उनके खातेदारी की भूमि है[illegible] अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके देखें, बिना साक्ष्य शहादत लिये हीं हल्का पटवारी की मिथ्य[illegible] रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त निर्णय पारित किया है[illegible] जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत बेदखली व निर्णय नह[illegible] है। निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जिसे किसी भी स्थिति में विश्वसनीय नहीं मान[illegible] जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वाग्रह के ग्रसित होकर एकपक्षीय आदेश पारित[illegible] किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलां[illegible] की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 2.2.2016 निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त विवादित आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 75/15 निर्णय दिनांक 18.02. 2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय [illegible] है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अति[illegible] 75/15 निर्णय दिनांक 18.02. 2015 से बेदखल किया [illegible] है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्र[illegible]चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया [illegible] न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि हो[illegible] है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तह[illegible] द्वारा प्रकरण संख्या 32/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2[illegible] जाता है।

निर्णय आज [illegible] सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ[illegible].पी.सिंह)
[illegible] कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)